रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 3, 2019/पौष 13, 1940
No. 5] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 3, 2019/PAUSHA 13, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 5(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धाराओं 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 में और संशोधन लाने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ-** (1) इन नियमों को पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 कहा जाए।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 में, अनुसूची-I में, क्रम सं. 112 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतर्विष्ट किया जाएगा अर्थात्:—

क्र.सं.	**उद्योग**	**मानदंड**	**मानक**	
1	2	3	4	
"113	**केरोसीन मानक**	**विशेषताएं**	**अपेक्षा**	
			श्रेणी क	**श्रेणी ख**
		प्रकटन	स्वच्छ और चमकीला। अविघटित जल, विजातीय पदार्थ तथा अन्य दृश्य अशुद्धताओं से मुक्त,	स्वच्छ और चमकीला। अविघटित जल, विजातीय पदार्थ तथा अन्य दृश्य अशुद्धताओं से मुक्त,

		अम्लता, अकार्बनिक	शून्य	शून्य
		दहन गुणवत्ता (2)		
		(क) जले हुए कोयले का मान, खपत हुए तेल का मान मि.ग्रा/कि.ग्रा, अधिकतम	20	20
		(ख) कांच की चिमनी पर चमक	धूसर से अधिक गहरा नहीं।	धूसर से अधिक गहरा नहीं।
		रंग		
		(क) सेबोल्ट (रंगहीन केरोसीन के मामले) (3), न्यूनतम (ख) प्रकटन (रंग मिलाए गए केरोसीन के मामले में)	10 नीला	10 नीला
		तांबे की पट्टी का 50°C तापमान पर 3 घंटे तक संक्षारण	नं. 1 से खराब नहीं	नं. 1 से खराब नहीं
		15°C तापमान पर घनत्व, कि.ग्रा/m^3	सीमित नहीं, किन्तु रिपोर्ट दी जानी है।	सीमित नहीं, किन्तु रिपोर्ट दी जानी है।
		आसवन		
		(क) 200°C से कम तापमान पर प्राप्त प्रतिशत, प्रतिशत (v/v), न्यूनतम	20	20
		(ख) अंतिम क्वथनांक, °C, अधिकतम	300	300
		ज्वलनांक (एबेल), °C, न्यूनतम	35	35
		धूमांक (4), mm, न्यूनतम	18	18
		गंधक की कुल मात्रा, प्रतिशत(5) mm, अधिकतम	0.10	0.20 *
		पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय वर्ष 2020 तक श्रेणी क केरोसीन उत्पादित और आपूर्ति करने का प्रयास करेगा।		

टिप्पण:

(1) विवाद के मामले में, यह मध्यस्थ पद्धति होगी।

(2) यह परीक्षण शोधन कारखानों की ओर से किया जाएगा।

(3) जहां सेबोल्ट क्रोमोमीटर उपलब्ध नहीं है, वहां 18 सेल में रखे गए नमूने के लोवीबांड रंग को आईएस 1448:पी-13 के अनुसार मापा जाएगा, जिस मामले में रंग मानक सफेद (आईपी 4.0) से अधिक गहरा नहीं होगा, तथापि विवाद के मामले में [पी:14] मध्यस्थ पद्धति अपनाई जाएगी।

(4) प्रतिरक्षा और रेलवे सिगनल लैम्पों हेतु आपूर्ति के लिए उत्पाद का धूमांक 22 mm, न्यूनतम होगा।

(5) सभी अन्य विनिर्देशों अर्थात् विधियों, विषय क्षेत्र, संदर्भों, श्रेणियों, अपेक्षाओं, पैकिंग और विपणन एवं नमूना एकत्रीकरण के लिए जुलाई, 2018 में प्रकाशित केरोसीन-विनिर्देशों हेतु भारतीय मानक आईएस 1459:2018 (चतुर्थ संशोधन), आईसीएस सं. 75.160.20 को पूरा करना अपेक्षित है।

[फा.सं. क्यू-15017/01/2018-सीपीडब्ल्यू]

डॉ. ए. सेंथिल वेल, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण:-

मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.आ.सं. 844 (अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उन्हें पिछली बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1095 (अ), तारीख 9 नवम्बर, 2018 को संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2019

G.S.R. 5(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986,namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in the Schedule – I, after serial number 112 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

IndiaCode

Sl. No.	Industry	Parameter	Standard	
1	2	3	4	
"113	**Kerosene standards**	**Characteristic**	**Requirement**	
			Grade A	**Grade B**
		Appearance	Clear and bright. Free from un-dissolved water, foreign matter and other visible impurities	Clear and bright. Free from un-dissolved water, foreign matter and other visible impurities
		Acidity, inorganic	Nil	Nil
		Burning quality(2)		
		(a) Char value, mg/kg of oil consumed, *Max*	20	20
		(b) Bloom on glass Chimney	Not darker than grey	Not darker than grey
		Colour		
		(a) Saybolt (in case of undyed Kerosene)(3), *Min*	10	10
		(b) Visual (in case of dyed Kerosene)	Blue	Blue
		Copper strip corrosion for 3 h at 50^0C	Not worse than No.1	Not worse than No.1
		Density at 15^0C, kg/m^3	Not limited, but to be reported	Not limited, but to be reported
		Distillation		
		(a) Percent recovered below 200^0C, percent (v/v), *Min*	20	20

		(b) Final boiling point, ^{0}C, *Max*	300	300
		Flash point (Abel), ^{0}C, *Min*	35	35
		Smoke point(4), mm, *Min*	18	18
		Total sulphur content, percent(5), m/m, *Max*	0.10	0.20*
		*The Ministry of Petroleum and Natural Gas shall make efforts to produce and supply Grade A Kerosene by 2020.		

NOTES:

(1) In case of dispute, this shall be the referee method.

(2) This test is to be done at refinery end.

(3) Where Saybolt chromo meter is not available Lovibond colour of the sample kept in an 18 cell may be measured according to IS 1448: P-13 in which case the colour shall not be deeper than standard white (IP 4.0), however, in case of dispute [P:14] shall be referee method.

(4) For supplies to Defence and Railway signal lamps the smoke point of the product shall be 22 mm, Minimum.

(5) For all other specifications i.e. test methods, scope, references, grades, requirements, packing and marketing and sampling. It is require to meet Indian Standard IS 1459:2018 for Kerosene – Specifications (Fourth Revision), ICS No. 75.160.20, published in July, 2018".

IndiaCode

[F. No. Q-15017/01/2018-CPW]

Dr. A. SENTHIL VEL, Scientist 'G'

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and last amended *vide* notification G.S.R. 1095(E), dated the 9th November, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.01.07 14:00:23 +05'30'